

बिहार सरकार
गृह विभाग विभाग

5 पोस्ट

प्रेम्, तैना में

श्री रच० रन० झा,
सरकार के कार्यालय तथिय ।
तभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

पटना, दिनांक ११ जुलाई, 2007.

विषय:-
प्रसंग:-
महाराज,

स्वतंत्रता संग्राम तेनानियों एवं उनके उत्तराधिकारियों को परिचय पत्र जारी किये जाने के संबंध में ।
विभागीय पत्रांक-404 दिनांक-5-9-2006

निम्नानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधिन पत्र के संदर्भ में कहना है कि राज्य सरकार ने कुछ अन्य राज्यों की भांति राज्या के स्वतंत्रता संग्राम तेनानियों एवं उनके उत्तराधिकारियों के स्व में तेनानी के दो पीढ़ी तक के व्यक्तियों को यथा पति अथवा पत्नी, पुत्र अथवा पुत्री, पोता अथवा पोती, नाती अथवा नतनी को परिचयपत्र जारी करने का निर्णय लिया है ।

इत संदर्भ में कुछ जिलों के जिलाधिकारियों एवं तालुकों से पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें कुछ व्यक्तियों के कारण स्पष्ट दिशा निर्देश की मांग की गई है कि एक स्वतंत्रता तेनानी के कितने उत्तराधिकारियों को परिचय पत्र निर्गत करना है। क्या स्वतंत्रता तेनानी के पति अथवा पत्नी, पुत्र अथवा पुत्री पोता अथवा पोती, नाती अथवा नतनी में से कितनी एक को या सभी को परिचय पत्र निर्गत किया जायगा । क्या एक स्वतंत्रता तेनानी के कई पोता पोती नाती एवं नतनी होने की स्थिति में क्या सभी को परिचय पत्र निर्गत किया जायगा । क्या जित पुत्री की मादी ठो गई है एवं वो तदुरात में है तबे क्या उन्हें भी परिचय पत्र निर्गत किया जायेगा ।

विभागीय पत्रांक-404 दिनांक-5-9-06 में स्पष्ट निर्देश दिया जा चुका है कि स्वतंत्रता तेनानी एवं उनके उत्तराधिकारियों के स्व में दो पीढ़ी तक के व्यक्तियों को यथा पति अथवा पत्नी, पुत्र अथवा पुत्री पोता अथवा पोती, नाती अथवा नतनी, सभी व्यक्तियों को ताबे इनको संख्या जितनी हो परिचय पत्र निर्गत किया जा सकता है । साथ ही मादी-गुदा पुत्री भी आवेदन करती हैं तो उन्हें भी परिचय पत्र निर्गत करना है । यह परिचय पत्र मातृ-सम्मान की दृष्टिकोण से दिया जा रहा है । इतका अन्य कोई लाभ देय नहीं है ।

कृपया प्राथमिकता देते हुए इत कार्य में गति प्रदानकी जाय ।

पत्र

विश्वासभाजन
4.7
सरकार के कार्यालय तथिय

13/7/07